बैंक के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों को पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद हेतु सूचीबद्ध करने विषयक

पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद के लिये छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक/अन्य बैंक से सेवानिवृत्त हुये अधिकारियों (अधिकारी वर्ग-II & III) से आवेदन आमंत्रित है। आवेदन के लिये पात्रता मापदंड निम्नानुसार है-

1) बैंक से सेवानिवृत्त ऐसे अधिकारी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक/अन्य बैंक की सेवा से दिनांक 30/11/2020 की तिथि पर या उससे पहले, अधिकारी वर्ग-2 एवं अधिकारी वर्ग-3 पद से अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हों एवं दिनांक 31/12/2020 को उनकी आयु 64 वर्ष से अधिक न हो। बैंक में कार्य करने की अधिकतम आयु 65 वर्ष है।

2) अधिकारी के सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व के 5 वर्षो में उनके विरूद्ध दण्ड जारी न किये गए हों, अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध न हो एवं अधिकारी के विरूद्व सीबीआई अथवा अन्य संस्था में जांच लंबित न हो।

3) सामान्यतः स्वस्थ एवं यात्रा आदि में सहज समर्थ हो ।

4) अधिकारी को कम से कम 5 वर्षों का ऋण से संबंधित कार्यो का अनुभव होना चाहिये। बैंक से क्षेत्रीय प्रबंधक, सतर्कता, विभागीय कार्यवाही विभाग अथवा/एवं/या ऑडिट-निरीक्षण आंतरिक अंकेक्षक पद से सेवानिवृत्त अधिकारी भी इस योजना में पात्र होंगे भले ही उनकी सेवा अनुभव की यह पात्रता अवधि 2 वर्ष ही हो ।

5) गोपनीयता संबंधी शपथ पत्र एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

अन्य नियम एवं शर्तें

1) भूतपूर्व अधिकारियों को प्रारंभिक तौर पर 1 वर्ष की अवधि हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा।

2) सूचीबद्ध होने को किसी भी उद्देश्य के लिये पुनः नियोजन नही माना जावेगा। बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाए निम्नलिखित कारणों से सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है -

   अ) यदि वे सौंपे गए कार्य को सम्पादित करने में असफल होते हैं या सौंपे गए कार्य के निष्पादन का स्तर संतोषजनक नही हो या प्रायः विलंब होता हो ।

   ब) ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के विषय पर कुछ संदेह उत्पन्न होता है ।

3) सेवानिवृत्त अधिकारी को नियोजन हेतु वचन पत्र/शपथ पत्र देना होगा। इसमें गोपनीयता एवं बैंक हित संरक्षण संबंधी, निकट संबंधियों की जानकारी आदि के प्रावधान भी होंगे ।

4) वर्तमान में कुल 50 पद (20 NPA + 30 CSPs मॉनिटरिंग) हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों को लिया जाएगा।

5) पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद हेतु मानदेय की दर निम्नानुसार है -

क्र.	सेवानिवृत्त अधिकारी	मानदेय	रिमार्क
1	अधिकारी वर्ग-II & III	₹ 25,000/-	
		₹ 5000/-	परिवहन भत्ता (Conveyance) एवं मोबाईल चार्ज
योग		₹ 30,000/-	₹30,000/-+ इन्सेन्टिव (आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- तक पात्रता होगी)

सेवानिवृत्त अधिकारी वर्ग-II एवं अधिकारी वर्ग-III को प्रतिमाह मानदेय राशि ₹30,000/- होगी। इसके अतिरिक्त आबंटित किए गए कार्य में यदि बैंक के द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिया जाता है, तो अधिकतम ₹10,000/- पात्रतानुसार दिया जायेगा।

Chhattisgarh Rajya Gramin Bank, Head Office, Raipur

5) सूचीबद्ध अधिकारियों के कार्य निष्पादन की सतत अनुश्रवण/समीक्षा की जावेगी। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने/प्रस्तुत प्रतिवेदन वांछित गुणवत्ता युक्त न पाए जाने पर उन अधिकारियों को भविष्य में कार्य सौंपे नहीं जायेंगे।

6) सूची में शामिल हो जाने मात्र से भूतपूर्व अधिकारी काम पाने का अधिकारी नहीं होगा। कार्य का आबंटन बैंक के विवेक पर निर्भर होगा ।

7) सेवानिवृत्त अधिकारी अपने देयक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा देयक की जांच कर पात्रतानुसार राशि व्यय खाते को नामें कर संबंधित अधिकारी के खाते में जमा की जायेगी। इसमें नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी। क्षेत्रीय कार्यालय नियंत्रण हेतु मासिक रिपोर्ट प्रधान कार्यालय प्रेषित करेंगे।

8) अधिकारी को अन्य नियम एवं शर्तें के बिन्दु 4 में उल्लेखित दरों पर मानदेय के अलावा और अन्य मद में कोई भुगतान नही किया जायेगा ।

9) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जायेंगे जिसमे वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा ।

10) सूचीबद्ध अधिकारी बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नही कर सकेंगे ।

11) यद्यपि सूचीबद्ध अधिकारी की, बैंक के कंप्यूटर सिस्टम, कोर बैंकिंग प्लेटफार्म तक पहुंच नही होगी। तथापि वे शाखा प्रबंधक के सहयोग से बहुउद्देशीय कार्य हेतु आवश्यक विवरण प्राप्त कर सकेंगे ।

12) ज्वाईनिंग के समय चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा।

13) पेंशन सर्टिफिकेट एवं पी.पी.ओ. अंतिम माह का प्रस्तुत करना होगा।

14) फोटो सत्यापित दो चरित्र प्रमाण पत्र अलग-अलग व्यक्तियों से प्रमाणित प्रस्तुत करें।

15) अन्य संस्था में कार्य न करने एवं आय अर्जन संबंधी अन्य स्रोत हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

16) संस्था छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस देवें तभी सेवात्याग की कार्यवाही की जाएगी। ऐसा न किए जाने की स्थिति में एक माह का वेतन जमा करना होगा।

17) कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में बैंक प्रबंधन को सेवा समाप्ति का अधिकार होगा।

18) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई कार्य है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी। विवाद की स्थिति में बैंक के महाप्रबंधक (प्रशासन) का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

सेवानिवृत्त अधिकारियों को अपना आवेदन (संलग्न प्रारूप में) अपने फोटोग्राफ, डाक का पता, मोबाईल/लैंडलाईन नंबर और ई-मेल पता के साथ दिनांक 31/12/2020 को सायं 5:30 pm तक जमा करना होगा। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकार नही किया जायेगा।

Chhattisgarh Rajya Gramin Bank Head Office, Raipur

प्रति,

महाप्रबंधक (प्रशासन)
छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक,
प्रधान कार्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

फोटो

महोदय,

बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद हेतु सूचीबद्ध करने बाबत आवेदन विषयक

क्र	विवरण	आवेदक द्वारा भरा जावेगा
1	नाम / पिता का नाम	
2	जन्म तिथि	उम्र
3	पी.एफ. क्रमांक	
4	वर्तमान निवास स्थान एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	
5	मोबाईल नं लेंड लाईन नं	
6	ई-मेल आई डी	
7	अ) शैक्षणिक योग्यता ब) JAIIB/CAIIB position	
8	बैंक से सेवानिवृति तिथि/स्थान कौन सी शाखा एवं बैंक का नाम	
9	सेवानिवृत्ति के समय का पद/स्केल	
10	सेवानिवृत्ति के पूर्व की तीन पदस्थी का विवरण तिथि सहित	1) 2) 3)
11	ऋण/आडिट/एन.पी.ए अनुवर्तन का अनुभव (जगह कम होने पर आवेदक चाहे तो अलग से कागज में पूर्ण विवरण के साथ संलग्न कर सकते है)	
12	सूचीबद्ध होने के लिये इच्छुक क्षेत्रीय कार्यालय	
13	वर्तमान में यदि कहीं कार्य कर रहे है तो उसका विवरण	
14	सेवाकाल के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई है तो उसका पूर्ण विवरण देवें	

Chhattisgarh Rajya Gramin Bank * Head Office, Raipur *

क्र	विवरण	आवेदक द्वारा भरा जावेगा
15	संलग्न किये गये KYC का विवरण	
16	अन्य विवरण	

मै घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारी सत्य है, यदि जानकारी असत्य पायी जाती है तो मेरी पात्रता निरस्त मानी जावे ।

स्थान –

दिनांक –

सेवानिवृत्त अधिकारी का हस्ताक्षर

Chhattisgarh Rajya Gramin Bank
Head Office, Raipur

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)
प्रधान कार्यालय : महादेवघाट रोड, सुन्दरनगर, रायपुर (छ.ग.), पिन – 492013
दूरभाष नं 0771-4388805, ई–मेल **cgb.personnel@gmail.com**

छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक में पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद हेतु दिनांक 30/11/2020 या उससे पहले सेवानिवृत्त हुये (अधिकारी वर्ग-II & III) इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन के लिये पात्रता मापदण्ड एवं अन्य जानकारी **बैंक की वेबसाईट www.cgbank.in** से प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार e-mail (cgb.personnel@gmail.com) अथवा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31/12/2020 को सायं 05:30 PM होगी।

कृपया हमारे क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर, धमतरी, जांजगीर, दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर एवं बैकुण्ठपुर में सूचीबद्ध होने हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी ही पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) पद हेतु आवेदन करें।

महाप्रबंधक (प्रशासन)

Head Office, Raipur * Chhattisgarh Rajya Gramin Bank *